

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाड़ा
पीठारिीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 14/2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. बदाम देवी पत्नी उदयराम बैरवा निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

--प्रार्थीया

बनाम

1. गंगा पिता लालू जाट निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. शंकरी पिता लालू जाट निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. प्रेमी पिता लालू जाट निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. रतन पिता श्रीराम जाट निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. शंकर पिता श्रीराम जाट निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. झमकू पिता श्रीराम जाट निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. कमला पिता नानू बलाई निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. कैलाशी पिता नानू बलाई निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. दाखी बेवा नानू बलाई निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. छोगा पिता खेमा तेली निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. बालु पिता भीठु तेली निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. बगदीराम पिता नानु बलाई निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा गु0 गंगापूर तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

--विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-17.03.2020

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सरगांव पटवार हल्का सरगांव तहसील सहाड़ा की बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1256/2 रकबा 0.31 हे0, 1257/2 रकबा 0.44 हे0, 1259/2 रकबा 0.08 कुल कित्ता 03 रकबा 0.83 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 246पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिराकी जगावन्दी रागवत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगद्दी किये जाने की इस्तादुआ की।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 व 7 लगायत 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। एवं विपक्षी संख्या 6 के विरुद्ध प्रार्थीया अधिवक्ता ने कोई दाद नहीं चाही। विपक्षी संख्या 11 पेरोकार सरकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं जवाबदेही बंद की जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया के अधिवक्ता को सुना गया।

वाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र को अवलोकन कर महन मनन किया। प्रार्थीया के अवलोकन व महन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।



अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सरगांव पटवार हल्का सरगांव तहसील सहाड़ा की वैरून हल्का आवादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1256/2 रकबा 0.31 हे0, 1257/2 रकबा 0.44 हे0, 1259/2 रकबा 0.08 कुल कित्ता 03 रकबा 0.83 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 246पर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रु. मात्र) सम्वन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(विकास पंचोली)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)